रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, अप्रैल 15—अप्रैल 21, 2018, शनिवार/चैत्र 25—वैशाख 1, 1940
No. 16] NEW DELHI, APRIL 15— APRIL 21, 2018, SATURDAY/CHAITRA 25— VAISAKHA 1, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 115.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) उप-निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियमावली, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) उपनिदेशक (राजभाषा) भर्ती संशोधन नियम 2018 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) उप-निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियमावली, 2015 में,-

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स के स्तर को इस नियमावली में संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा";

(ख) अनुसूची में,-

(i) स्तंभ सं. (4) में,-

(अ) स्तंभ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(आ) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स (67700-208700रु) में स्तर 11";

(ii) स्तंभ सं. (11) में,-

(अ) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन, शब्द, अंक और कोष्ठक "सहायक निदेशक (राजभाषा) जो पे-बैंड-3, 15600-39100रु के ग्रेड में ग्रेड पे-5400रु में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों", के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंको को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स (56100-177500रु) में स्तर 10 में सहायक निदेशक (राजभाषा), जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हों";

(आ) उपशीर्षक प्रतिनियुक्ति के अधीन मद (क) में उप-मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56100-177500रु) के स्तर 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य; और"।

[फा.सं. 10ए12/1/2016-प्रशा.IIख]

नगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) तारीख 6 जून, 2015 में सा.का.नि. संख्यांक 102, तारीख 23 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th April, 2018

G.S.R. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1 (i) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Deputy Director (Official Language) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2015, -

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"**2. Number of Post, Classification, Level in Pay Matrix. –** The number of post, classification, Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(b) in the Schedule, -

(i) in column number (4), -

(A) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

"Level in the Pay Matrix";

(B) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level 11 in the Pay Matrix (Rs. 67700-2,08,700)";

(ii) in column number (11), -

(A) under the heading Promotion:, for the words, figures and brackets "Assistant Director (Official Language) in PB-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 with five years regular service in the grade", the following words, brackets and figures shall be substituted, namely:-

"Assistant Director (Official Language) in Level 10 in the Pay Matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade";

(B) under the heading Deputation:, in item (a) for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

"(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 in the Pay Matrix (Rs. 56100-177500), or equivalent in the parent cadre/ department; and".

[F.No. 10A12/1/2016-Ad.IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th June, 2015 vide number G.S.R. 102. dated the 23rd April, 2015.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 116.—केन्द्रीय सरकार, स ास्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स ास्त्र सीमा बल योधक निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 का सं ोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का नाम स ास्त्र सीमा बल योधक निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती (सं ोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रका ान की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स ास्त्र सीमा बल योधक निरीक्षक (साधारण ड्यूटी)समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 में,–

(I) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

" 2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– पदों की सख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिश्ट हैं";

(II) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिश्ट हैं।

(III) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-